भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2856
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: यवतमाल जिले में पीएमडीडीकेवाई का कार्यान्वयन
2856. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यवतमाल जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के तहत चुना गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यवतमाल जिले में उपरोक्त योजना के अंतर्गत कौन-से विशिष्ट कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि जनवरी 2026 में यवतमाल जिले में 25 किसानों ने आत्महत्या की है;

(घ) यदि हाँ, तो किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पीएमडीडीकेवाई के तहत लागू किए जा रहे विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि उत्पादन में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा और बाजारों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है,और उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): जी हाँ। यवतमाल जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) के तहत चुना गया है।

डीडीकेवाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को छह साल की अवधि के लिए मंजूरी दी थी, जो 2025-26 से शुरू होकर 100 जिलों को कवर करेगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरान्त भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारियों के समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जिला कार्य प्लान (डीएपी) में उल्लिखित गतिविधियां समन्वय के माध्यम से की जाएंगी। डीएपी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। यवतमाल जिले की डीएपी में अभिसरण के माध्यम से कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों, सिंचाई सुविधाओं और बाजार संपर्कों को बढ़ाने सहित डीडीकेवाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक रोडमैप का विस्तृत विवरण दिया गया है।

(ख): जिला कार्य योजना (डीएपी) में यवतमाल जिले ने उन्नत बुवाई विधियों, उन्नत बीजों को अपनाने, बागवानी को बढ़ावा देने, भंडारण गोदामों के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। इन गतिविधियों के लिए फंड्स केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के समन्वय से प्राप्त की जाती है।

(ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी पत्रिका 'भारत में दुर्घटना मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई)' में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसानों की परेशानी को कम करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ): डीडीकेवाई फसल उत्पादकता, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों में सुधार, कटाई के बाद भंडारण अवसंरचना को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

यवतमाल के लिए डीएपी में ब्रॉड बेड फरो (बीबीएफ) तकनीक के तहत क्षेत्र को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसकी शुरुआत पहले वर्ष में 40,000 हेक्टेयर से छठे वर्ष में 60,000 हेक्टेयर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष ध्यान दिया गया है, पहले वर्ष में 20,000 लाभार्थियों को उन्नत बीजों की नई किस्में वितरित की जाएंगी, जिन्हें छठे वर्ष में बढ़ाकर 45,000 लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। फसल विविधता और सतत पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिले ने 6 वर्षों में हल्दी के तहत 7,500 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार, आम, अमरूद जैसे फलों की फसलों को 6 वर्षों में 3,800 हेक्टेयर तक बढ़ाने और चिया के बीजों की भी खेती करने की योजना बनाई है जिससे फसल सघनता बढ़ सके। इस प्लान में भंडारण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एवं अन्य योजनाएं के तहत गोदामों का निर्माण शामिल हैं।

इसके अलावा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए जिले ने सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 5,500 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव रखा है। ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए, डीएपी में 3,52,943 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कवरेज और 59,172 लाभार्थियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने को ध्यान में रखा है।

*****